प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–..... 2023.....
प्र0सू0रि0 सं .....70/2023.....दिनांक.....26/5/2023.....

2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018.....धाराए ..... 7 .....
(2) अधिनियम.....धाराए.....
(3) अधिनियम.....धाराए.....
(4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराएं.....

3. (क) घटना का दिन :– शनिवार .....दिनांक :–...25.03.2023.....समय : 12.40 पीएम.....
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–.....17.03.2023.....समय : 11.18 एएम.....
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....470 समय.....6:15PM,.....

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से पूर्व दिशा बफासला करीब 16 किमी
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– जोधपुर डिस्कॉम सब स्टेशन, बनवाली जिला श्रीगंगानगर ।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम..... जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री बलकरण सिंह
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री गुरदेव सिंह
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 34 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....
(च) व्यवसाय:– –
(छ) पता :– निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. गौरव सिंह पुत्र श्री रमेशचन्द जाति जाट उम्र 30 साल निवासी प्लाट न. 913 शालीमार गार्डन, एक्सटेन्शन–I गाजियाबाद (उतर प्रदेश) हाल निवास किराये का मकान लालगढ हाल कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन बनवाली कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

परिवादी बलकरण सिंह के घरेलु विद्युत कनेक्शन की एवज में आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता ने परिवादी व सह परिवादी रणजीत सिंह से 35,000/रूपये रिश्वत के लेना तय कर पूर्व में प्राप्त 10,000/रूपये स्वीकार करना तथा 5,000/रूपये की छूट करते हुये 20,000/रूपये और रिश्वत की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 25.03.23 को परिवादीगण से 20,000/रूपये रिश्वत लेने पर रंगे हाथो गिरफ्तार करना आदि आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– .....20,000/रू.....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु :–

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर। विषय :– भ्रष्ट जेईएन बिजली विभाग को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 34 साल निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का

रहने वाला हूँ। मेरा गांव बनवाली के नजदीक लालगढ–सादुलशहर रोड़ पर स्थित कॉलोनी में एक आवासीय भूखण्ड है, जिस पर मैने मकान बना रखा है। इस भूखण्ड में विद्युत कनेक्शन लेने के लिये मैने फाईल तैयार करवाकर विद्युत विभाग लालगढ में लगा रखी है। जिसके सम्बधं में मेरा चचेरे भाई श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री साधुसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली ने विद्युत विभाग लालगढ में गौरव जेईएन से मिला तो उसने पहले तो डेढ लाख रूपये रिश्वत के मांगे, फिर हाथा जोड़ी करने पर 35,000/रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर जेईएन ने हमारे से 10,000/रूपये रिश्वत के ले लिये है। अब वह शेष 25,000/रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत नही देने पर अस्टीमेंट बढाकर बनाने की धमकी दे रहा है। गौरव जेईएन रिश्वत की मांग सम्बधी वार्ता मेरे चचेरे भाई श्री रणजीत सिंह से करता है, मै व रणजीत सिंह उसे रिश्वत नही देकर रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। मेरी उससे कोई रंजिश नही है, ना ही कोई लेन देन बकाया है। मेरे साथ कार्यवाही में रणजीत सिंह रहेगा। कृपया कानूनी कार्यवाही करे। भवदीय एसडी बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह, निवासी गांव बनवाली, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल न0 8432878781।

कार्रवाई पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 17.03.23 वक्त 11.08. एएम पर परिवादी श्री बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 34 साल निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष मौखिक इतला दी कि मेरा गांव बनवाली के नजदीक लालगढ–सादुलशहर रोड़ पर स्थित कॉलोनी में एक आवासीय भूखण्ड है, जिस पर मैने मकान बना रखा है। इस भूखण्ड में विद्युत कनेक्शन लेने के लिये मैने फाईल तैयार करवाकर विद्युत विभाग लालगढ में लगा रखी है। जिसके सम्बधं में मेरा चचेरे भाई श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री साधुसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली ने विद्युत विभाग लालगढ में गौरव जेईएन से मिला तो उसने पहले तो डेढ लाख रूपये रिश्वत के मांगे, फिर हाथा जोड़ी करने पर 35,000/रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिस पर जेईएन ने हमारे से 10,000/रूपये रिश्वत के ले लिये है। अब वह शेष 25,000/रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत नही देने पर अस्टीमेंट बढाकर बनाने की धमकी दे रहा है। **गौरव जेईएन रिश्वत की मांग सम्बधी वार्ता मेरे चचेरे भाई श्री रणजीत सिंह से करता है,** मै व रणजीत सिंह उसे रिश्वत नही देकर रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। मै व रणजीत सिंह अभी अपने गांव बनवाली ही है। इस सम्बधं में श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय को हालात अर्ज किये गये। जिस पर उक्त मौखिक इतला की तस्दीक के क्रम में वक्त 3.40 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय संजीव कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0 के लेपटॉप–प्रिन्टर मय अनुसंधान बॉक्स के निजी कार से रवाना होकर वक्त 04.00 पीएम पर बनवाली के नजदीक रणजीत सिंह की खेत में बनी ढाणी पहूंचा। जहां परिवादी बलकरण सिंह व रणजीत सिंह उपस्थित मिले। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी बलकरण सिंह व उसके चचेरे भाई रणजीत सिंह को अपना परिचय दिया जाकर सर्वप्रथम परिवादी का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर श्री रणजीत सिंह ने अपना नाम श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री साधुसिंह जाति जटसिख उम्र 42 साल निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर होना बताया। परिवादी बलकरण सिंह ने बताया कि मैने आज सुबह आपसे मोबाईल पर जो वार्ता की थी वो मोबाईल न. 95216–00078 मेरे चचेरे भाई रणजीत सिंह का है। जिस पर परिवादी श्री बलकरण सिंह ने श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक के नाम का उक्त मौखिक इतला के तथ्यो का एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप पुलिस अधीक्षक के पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना एवं स्वंय की हस्तलिपी में होना एवं उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। पूछने पर सह परिवादी श्री रणजीत सिंह ने भी परिवादी बलकरण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया एवं आरोपी **गौरव जेईएन** के विरूद्ध कार्रवाई हेतु परिवादी बलकरण सिंह के साथ रहने की प्रार्थना पत्र पर लिखित सहमति दी। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी श्री बलकरण सिंह व सह परिवादी श्री रणजीत सिंह को प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उन्होने सत्यापन करवाने हेतु सहमति दी। फिर आरोपी की मौजूदगी का मालूमात करने हेतु परिवादीगण को कहा गया तो सह परिवादी श्री रणजीत सिंह ने आरोपी जेईएन के मोबाईल न. 94140–21563 पर अपने मोबाईल न. 95216–00078 से वार्ता करने पर आरोपी ने 15–20 मिनट बाद बनवाली स्थित बिजली घर पर मिलने हेतु कहा। जिस पर वक्त 05.00 पीएम परिवादी श्री बलकरण सिंह व सह परिवादी श्री रणजीत सिंह को डिजीटल टेप रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझायी गई। तत्पश्चात श्री भवानी सिंह कानि0 को डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी व सह परिवादी के साथ गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत कर गांव बनवाली स्थित बिजली घर की ओर रवाना किया गया। वक्त 05.30 पीएम पर उपरोक्त फिगरा के गोपनीय सत्यापन में गये हुये श्री भवानी सिंह कानि. व परिवादी श्री बलकरण सिंह व सह परिवादी श्री रणजीत सिंह गोपनीय स्थान पर उपस्थित आये एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया एवं सह परिवादी रणजीत सिंह ने बताया कि हम दोनो बिजली घर बनवाली में गौरव जेईएन से जाकर मिले थे, तो उसने 35,000/रूपये रिश्वत मांग में से पूर्व में रिश्वत के प्राप्त 10,000/रूपये स्वीकार करना तथा

5,000/रूपये की छूट करते हयु 20,000/रूपये और रिश्वत की मांग की है। उक्त बात मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। पूछने पर परिवादी बलकरण सिंह ने भी उक्त तथ्यों की ताईद की। इस पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से सुना गया तो रिश्वत मांग के तथ्यो की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मेरे से कनेक्शन के लिये एक 500/रूपये का खाली स्टाम्प तथा छूट किये गये 5000/रूपये की बिजली विभाग में रसीद कटवाने हेतु सोमवार को आने का कहा है। मौसम खराब होने की वजह से ट्रांसकिप्ट बनाना सम्भव नही है, जिस पर परिवादी व सह परिवादी को वही हिदायत कर छोड़ा गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान संजीव कुमार कानि0 व भवानी सिंह कानि0 के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंचा। उक्त रिकॉर्ड वार्ता का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वंय की सुरक्षा में लिया। हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये। दिनांक 20.03.2023 वक्त 10.15 एएम पर परिवादी बलकरण सिंह व सह परिवादी रणजीत सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादीगण की मौजूदगी दिनांक 17.03.23 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी व सह परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर पर सुना गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता से रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी व सह परिवादी ने बताया कि आज स्टाम्प व रसीद कटवाने की कार्यवाही करेगे, इसके पश्चात ही आरोपी जेईएन को रिश्वत राशि देंगे। जिस पर परिवादी व सह परिवादी को हिदायत कर रूख्स्त किया गया। दिनांक 24.03.2023 को वक्त 10.00 एएम पर परिवादी बलकरण सिंह व सह परिवादी रणजीत सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये एवं बलकरण सिंह ने बताया कि दिनांक 21.03.23 को मैने 500/रूपये का स्टाम्प पेपर व 5000/रूपये रसीद कटवाने के लिये गौरव जेईएन को बनवाली स्थित बिजली घर में दे दिये थे, जिस पर उसने कहा कि तु रणजीत सिंह को भिजवाना। जिस पर सह परिवादी रणजीत सिंह ने बताया कि मैने दिनांक 22.03.23 को जेईएन से जरिये दूरभाष बात की तो उसने जल्द कनेक्शन का कहकर अपने पैसो की मांग की, जिस पर मैने कहा था कि एक दो दिन में आता हूँ। आज हम जेईएन को रिश्वत की मांग अनुसार रिश्वत राशि देगें, रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/रूपये साथ लेकर आये है। अग्रिम कार्यवाही में दो राज्य कर्मचारियों की बतौर गवाह मौजूदगी आवश्यक होने से दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को पाबंद कर लाने हेतु श्री नरेश कुमार कानि0 को भिजवाया गया, जो **अपने साथ** स्वतन्त्र गवाह श्री मोहित कुमार क0स0 व श्री राहूल पुरेला क0स0 जल संसाधन विभाग, श्रीगंगानगर को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये, जिनका ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी बलकरण सिंह व सह परिवादी रणजीत सिंह से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने बतौर स्वतन्त्र गवाह कार्रवाई में शामिल होने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादी श्री बलकरण सिंह ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500/–रूपये के 40 नोट कुल 20,000/–रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1AH 237501
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4HU 357414
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4CT 423060
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9DC 727930
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8AL 863172
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9TM 122978
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8TE 435790
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का ारतीय मुद्रा न.	3ND 439753
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4TA 405889
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5GD 551704
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0EK 654426
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3CB 563598
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2BV 517268
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1GD 036331
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3SS 186849
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5UN 059856
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7KF 546508
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3CP 972883
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5QL 893032
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3FV 159580

21.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1BM 315488
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3ME 081094
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3WQ 068331
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5NP 060365
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4WF 605758
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0CM 924133
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1BC 185140
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7VQ 684124
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3TR 759481
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9FR 644379
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0TQ 750989
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0TQ 750991
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0TQ 750992
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0LM 695262
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4GV 858127
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6KS 429093
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7HG 723200
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9WT 466424
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7WG 315274
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1WR 672653

उक्त प्रस्तुत नोटो को मन उप पुलिस अधीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री रमन दायमा कानि0 से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त 20,000/रू के नोटो पर फिनॉफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। **परिवादी श्री बलकरण सिंह ने बताया कि रिश्वत का लेन–देन सह परिवादी श्री रणजीत सिंह द्वारा ही किया जायेगा।** जिस पर **गवाह श्री मोहित कुमार** से सह परिवादी रणजीत सिंह की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 20,000/रू के नोटो को श्री रमन दायमा कानि0 के जरिये सह परिवादी के पहने कुर्ते की **उपरी बांयी** जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करें। सह परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री रमन दायमा कानि0 के हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। श्री रमन दायमा कानि0 के हाथो, गिलास को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियो व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासो को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे सह परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर सह परिवादी श्री रणजीत सिंह को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। वक्त 01.05 पीएम पर परिवादी श्री बलकरण सिंह व सह परिवादी श्री रणजीत सिंह को उनके प्राईवेट वाहन में ब्यूरो स्टाफ के श्री भवानी सिंह कानि0 व श्री आशीष कुमार कानि0 के साथ रवाना करते हुये तथा श्री दिनेश कुमार कानि0 व श्री भंवरराम कानि0 को सरकारी मोटरसाईकिल से एवं उनके पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मोहित कुमार क0सस0 व श्री राहुल पुरेला क0स0 तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री सुबे सिंह मु0आ0, श्री जगदीश राय मु0आ0, श्री बजरंलाल कानि0, श्री नरेश कुमार कानि0, श्री संजीव कुमार कानि0, मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स सरकारी टवेरा गाड़ी व प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्रवाई हेतु रवाना होकर नजदीक बनवाली के पास पहूंचा, वाहनो को गोपनीय स्थान पर रूकवाया। परिवादी व सह परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने सब स्टेशन बनवाली की ओर रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस सहित हमराही ट्रेप पार्टी सदस्यों ने वाहनो में ही मुकिम रहकर सब स्टेशन बनवाली के इर्द गिर्द ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 01.45 पीएम पर परिवादी व सह परिवादी बिना ट्रेप ईशारा किये बाहर आये एवं बताया कि आरोपी

जेईएन अपने कार्यालय में उपस्थित नही है, वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि वह बाहर गये है। जिस पर परिवादी व सह परिवादी सहित मौका से रवाना होकर लालगढ–सादुलशहर रोड़ पर स्थित गोपनीय स्थान पर पहूंच मय हमराहीयान के मुकिम हुआ। वक्त 4.25 पीएम पर सह परिवादी रणजीत सिंह ने अवगत करवाया कि मेरी आरोपी जेईएन से जरिये मोबाईल वार्ता हुई है, उसने बाहर होना बताया है तथा आज बरसात का मौसम होने की वजह से वह बनवाली नही आयेगा। सह परिवादी की वार्ता अनुसार आज ट्रेप की सम्भावना नही होने से सह परिवादी को सुपुर्द शुदा राशि व डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी व सह परिवादी को मौका से रूख्सत कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मौका से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंचा, जहां रिश्वत राशि एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री जगदीश राय मु0आ0 को सुपुर्द कर सुरक्षित रखवाये गये एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कल सुबह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 25.03.2023 वक्त 11.30 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री राहूल पुरेला व श्री मोहित कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। ट्रेप राशि श्री जगदीश राय मु0आ0 से टवेरा गाड़ी के डेशबोर्ड में सुरक्षित रखवायी गई। तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार कानि0 व श्री भंवरराम कानि0 को सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री मोहित कुमार क0स0 व श्री राहुल पुरेला क0स0 तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री सुबे सिंह मु0आ0, श्री जगदीश राय मु0आ0, श्री बजरंलाल कानि0, श्री नरेश कुमार कानि0, श्री संजीव कुमार कानि0 मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स सरकारी टवेरा गाड़ी व प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्रवाई हेतु रवाना होकर वक्त 12.15 पीएम पर सादुलशहर –बनवाली रोड़ पर तय अनुसार गोपनीय स्थान पर परिवादी बलकरण सिंह व सह परिवादी रणजीत सिंह उपस्थित मिले। सह परिवादी ने बताया कि वक्त 11.56 एएम पर आरोपी का मेरे मोबाईल पर फोन आया एवं बताया कि आज मै बनवाली सब स्टेशन आया हुआ, तुम आ जाओ। जिस पर सरकारी टेवरा गाड़ी के डेशबोर्ड से रिश्वत राशि निकलवाकर श्री भवानी सिंह कानि0 से सह परिवादी रणजीत सिंह के पहने कुर्ते की साईड की जेब में रखवाये गये तथा सह परिवादी को रिश्वत लेन देन की वार्ता रिकॉर्ड करने के लिये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। श्री भवानी सिंह कानि0 के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात मौका से परिवादी व सह परिवादी के साथ उनकी प्राईवेट गाड़ी में श्री भवानी सिंह कानि0 व आशीष कुमार कानि0 को रवाना कर पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रवाना प्राईवेट वाहन व सरकारी टवेरा गाड़ी से रवाना होकर वक्त 12.25 पीएम मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के बनवाली सब स्टेशन के नजदीक पहूंचा, जहां परिवादी व सह परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने सब स्टेशन की ओर रवाना कर मय हमराहीयान के सब स्टेशन के ईर्द गिर्द ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 12.40 पीएम पर सह परिवादी रणजीत सिंह ने सब स्टेशन बनवाली के मुख्य गेट से ट्रेप का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यो के अविलम्ब सह परिवादी रणजीत सिंह के पास पहूंचा तो सह परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुये बताया कि साहब आरोपी गौरव जेईएन अपने कार्यालय में बैठा है, जिसने मेरे से बलकरण सिंह के घरेलु विद्युत कनेक्शन की एवज में मांग कर 20,000/रूपये अपने हाथ में लेकर अपने मेज की दराज में रख लिये है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को साथ लेकर उसके बताये अनुसार सब स्टेशन बनवाली परिसर में प्रवेश कर सामने स्थित कक्ष में पहूंचा तो कमरे में बांयी ओर कुर्सी पर पेन्ट शर्ट पहने एक युवक बैठा है, जिसकी ओर सह परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब यही जेईएन साहब है। उक्त युवक को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो वह युवक घबरा कर खड़ा हो गया, जिसे तसल्ली दी जाकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गौरव सिंह पुत्र श्री रमेशचन्द जाति जाट उम्र 30 साल निवासी प्लाट न. 913 शालीमार गार्डन, एक्सटेन्शन–ा गाजियाबाद(उतर प्रदेश) हाल निवास किराये का मकान लालगढ हाल कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन बनवाली कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता से परिवादी बलकरण सिंह के कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि परिवादी बलकरण सिंह ने अपने चक 6 बीएनडब्ल्यू में बने मकान के घरेलु विद्युत कनेक्शन हेतु माह जनवरी 2023 ने कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम लालगढ जाटान में आवेदन किया था, जिस पर मेरे द्वारा इस कनेक्शन का अस्टीमेंट बनाकर पत्रावली सहायक अभियंता कार्यालय में डिमाण्ड नोटिस जारी करने हेतु दी थी, जिसका कल ही दिनांक 24.03.23 को राशि 19,150/रूपये डिमाण्ड नोटिस जारी हुआ है। मेरे पास इस कनेक्शन के लिये रणजीत सिंह व बलकरण सिंह आये थे, तब कनेक्शन की एवज में मुझे 35,000/रूपये राजी खुशी देना तय हुआ था, इन्होने इससे पहले मुझे 10,000/रूपये व बाद में 5000/रूपये दिये थे तथा आज 20,000/रूपये अभी दिये है, जो मेरी मेज की दराज में रखे है, कुल मिलाकर इनके द्वारा मुझे 35,000/रूपये दिये जा चुके है, इसमें से मेरे द्वारा 19,500/रूपये डिमाण्ड नोटिस वाली राशि जमा करवानी थी तथा शेष राशि इनके द्वारा मुझे इनामस्वरूप दी गई है। जिस पर आरोपी को कहा कि डिमाण्ड राशि कहा जमा होनी थी व किसके द्वारा जमा ली जानी थी। तो आरोपी जेईएन ने बताया कि डिमाण्ड राशि उपभोक्ता द्वारा हमारे सहायक अभियंता कार्यालय लालगढ में कैशियर को जमा करवायी जानी थी, जिसकी नियमानुसार रसीद काटी जाती। इस पर आरोपी गौरव सिंह जेईएन को पूछा गया कि जब डिमाण्ड राशि सहायक अभियंता कर्यालय द्वारा जमा ली जानी थी, तो आपने क्यो ली, तो आरोपी ने कहा कि साहब गलती हो गई माफ करो। इस पर सह परिवादी रणजीत सिंह ने स्वतः ही रूबरू गवाहान बताया कि मेरे चचेरे भाई बलकरण सिंह ने गांव बनवाली के नजदीक लालगढ–सादुलशहर रोड़ पर स्थित कॉलोनी में बने मकान का विद्युत कनेक्शन लेने के लिये विद्युत विभाग लालगढ में फाईल लगा रखी थी, जिसके लिये मै व

बलकरण कई बार गौरव जेईएन से मिले तो उसने पहले तो डेढ लाख रूपये रिश्वत के मांगे, फिर हाथा जोड़ी करने पर 35,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा 10,000/रूपये ले लिये व 25,000/रूपये की ओर रिश्वत की मांग कर रहा था, जिस पर आपके द्वारा हमारे प्रार्थना पत्र पर करवाये गये रिश्वत मांग के सत्यापन में जेईएन ने पूर्व में लिये 10,000/रूपये लेना स्वीकार करते हुये 5000/रूपये की रसीद कटवाने का कहा तथा 20,000/रूपये अपने लिये और रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर 5000/रूपये दिनांक 21.03.23 को हमारे से ले लिये, आज अभी थोड़ी देर पहले मै व बलकरण सिंह जेईएन साहब से आकर मिले तो इन्होने पहले तो हमारे से 25,000/रूपये की मांग की, फिर मैने कहा कि अपने कुल 35000/रूपये की बात हुई थी, आपको अब तक 10,000/रूपये व रसीद के 5000/रूपये कुल 15,000/रूपये दे चुके है, आज 20,000/रूपये देने की बात हुई थी, जो मेरे द्वारा जेईएन को देने पर उसने अपने हाथ में लेकर मेज की दराज में रख लिये। फिर मौका पर मौजूद परिवादी बलकरण सिंह ने भी उक्त तथ्यों की ताईद की। उक्त घटनाकम से सह परिवादी व आरोपी गौरव सिंह जेईएन के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी गौरव सिंह जेईएन के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी टवेरा गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी गौरव सिंह जेईएन के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **हल्का गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'आर–1, आर–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी गौरव सिंह जेईएन के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **हल्का गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'एल–1, एल–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी गौरव सिंह जेईएन से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने अपने मेज की दराज में रखे होना बताया। जिस पर गवाह श्री मोहित कुमार से आरोपी की मेज की दाहिनी साईड की दराज की तलाशी लिवाई गई तो गवाह मेज की दराज खोली जिसमें सामने 500–500/रूपये के नोट रखे दिखाई दिये, जिसे गवाह ने निकालकर गिनकर 500–500/रू के बीस नोट कुल 20,000/रू होना बताया। फिर दोनो गवाहो से इन बरामशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि की बरामदगी मेज के दराज से हुई है, जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक है। जिस हेतु एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर एक सफेद कपड़े की चिंदी की सहायता से रिश्वत राशि रखे स्थान मेज की दराज को पौंछ–पौछ कर उक्त तैयार घोल में डूबोकर धोया गया तो धोवन का रंग **हल्का गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'डी–1, डी–2'** अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात कपड़े की चिंदी को सुखाकर उस पर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपी से परिवादी बलकरण सिंह की विद्युत कनेक्शन की पत्रावली के सम्बधं में पूछा तो उसने कहा कि वह तो सहायक अभियंता कार्यालय लालगढ में है, जिस पर श्री जगदीश राय मु0आ0 व नरेश कुमार कानि0 को सहायक अभियंता कार्यालय लालगढ भिजवाया गया, जो कुछ समय पश्चात अपने साथ श्री रामूराम वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम लालगढ जाटान सहित मौका पर उपस्थित आये। श्री रामूराम व0स0 ने परिवादी श्री बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह की विद्युत कनेक्शन की पत्रावली पेश की और बताया कि श्री बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह ने चक 6 बीएनडब्ल्यू में अपने मकान के लिये घरेलु विद्युत कनेक्शन लेने हेतु दिनांक 30.01.23 को आवेदन किया था। फिर यह पत्रावली सम्बधिंत कनिष्ठ अभियंता सब स्टेशन बनवाली श्री गौरव सिंह को तकमीना बनाने बाबत भिजवा दी थी, जिस पर कनिष्ठ अभियंता द्वारा मुझे कल दिनांक 24.03.23 को पत्रावली तकमीना बनाकर दी थी, जिस पर मेरे द्वारा डिमाण्ड नोटिस क्रमांक 5977 दिनांक 24.03.23 को राशि 19,150/रूपये का बलकरण सिंह के नाम हमारे सहायक अभियंता से हस्ताक्षर करवाकर जारी किया गया है, जिसे अभी उपभोक्ता को जरिये डाक भिजवाया जाना है। जिस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अभी परिवादी के विद्युत कनेक्शन की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में मूल पत्रावली जब्त करने से परिवादी का कार्य प्रभावित होगा। इसलिये पत्रावली की फोटो प्रति प्राप्त की जाकर मूल पत्रावली श्री रामूराम व0स0 को वापस लौटायी गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी व सह परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। तत्पश्चात आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कशीद किया गया। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को

नष्ट किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी व सह परिवादी को मौका से जाने की इजाजत देते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन एवं मोटरसाईकिल से रवाना होकर आरोपी के लालगढ स्थित किराये की मकान की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन एवं मोटरसाईकिल से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर पहूंचा। जहां पर आरोपी गौरव सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात मौका से मय हमराहीयान के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 20,000/रू रिश्वत राशि, शील्डशुदा एक पीले रंग, शील्ड शुदा सीडीया आदि श्री जगदीश राय मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता को माननीय सेशन न्यायालय, भ्र0नि0 श्रीगंगानगर में समक्ष पेश किया, माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने के आदेश फरमाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह तथ्य पाये गये कि परिवादी श्री बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के गांव बनवाली के नजदीक लालगढ–सादुलशहर रोड़ पर स्थित कॉलोनी में बने मकान के घरेलु विद्युत कनेक्शन करवाने हेतु उसका चचेरा भाई सह परिवादी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री साधुसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली कनिष्ठ अभियंता बनवाली **गौरव सिंह** से मिला तो उसने पहले तो डेढ लाख रूपये रिश्वत के मांगे, फिर हाथा जोड़ी करने पर 35,000/रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिस पर जेईएन ने परिवादीगण से 10,000/रूपये रिश्वत के ले लिये और शेष 25,000/रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा था। जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर ब्यूरो द्वारा दिनांक 17.03.23 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने पर आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता ने 35,000/रूपये रिश्वत के लेना तय कर पूर्व में प्राप्त 10,000/रूपये स्वीकार करना तथा 5,000/रूपये की छूट करते हुये 20,000/रूपये और रिश्वत की मांग की गई। उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 25.03.2023 को आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता द्वारा सह परिवादी रणजीत सिंह से रिश्वत राशि 20,000/रू अपने हाथ में लेकर अपने मेज की दराज में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी के दोनो हाथो की धुवाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल मेज की दराज की धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना तथा वक्त ट्रेप परिवादी बलकरण सिंह के घरेलु विद्युत कनेक्शन का कार्य पेण्डिग होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन बनवाली कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादीगण से 20,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का घटित होना पाये जाने पर गौरव सिंह पुत्र श्री रमेशचन्द जाति जाट उम्र 30 साल निवासी प्लाट न. 913 शालीमार गार्डन, एक्सटेन्शन–ा गाजियाबाद(उतर प्रदेश) हाल निवास किराये का मकान लालगढ हाल कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन बनवाली कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(भुपेन्द्र कुमार)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
श्रीगंगानगर–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गौरव सिंह, कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन बनवाली, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम लालगढ जाटान, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 70/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 560-63 दिनांक 26.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. मुख्य अभियंता(संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।

26.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।